डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

Reply to Original Application

No. 2018/HQ/Admin/RTI-52 New Delhi: 27.03.2018

Shri Shyam Singh
S/o Sh. Baburam
Nagla Dhera, Mauza Thari,
Pargana Tehsil- Bharthana
Distt.- Etawa, UP-206242
Mobile-8954542265

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Original Application dated 13.01.18 received on 29.01.18 from Shri Shyam Singh.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

Copy to:

CPM/Tundla : For information & Record only

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेषन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांकः- 19.03.2018

DGM/PIO

DFCCIL

New Delhi

विषयः- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बाबूराम निवासी- ग्राम ढेरा, मौजा- थरी, तहसील- भरथना, जनपद- इटावा, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- I आपके पत्र संख्या 2018/HQ/ADMIN/RTI-52 दिनांक 27.02.2018.
II उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर के पत्र सं. CNB/EN/CA(iii) दिनांक- 17.03.2018.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I में श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बाबूराम निवासी- ग्राम ढेरा, मौजा- थरी, तहसील- भरथना, जनपद- इटावा, की जानकारी के लिया RTI प्राप्त हुई इसकी जानकारी हेतु उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर को निर्देशित किया गया | सन्दर्भित पत्र सं. II के तहत उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर से जो जानकारी प्राप्त हुई वह निम्नलिखित हैः-

"इस सम्बन्ध में अवगत कराना है | कि डी0एफ0सी0सी0 की मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम- थरी, तहसील- भरथना जनपद- इटावा की एलाईमेंटमें आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के अंर्तगत दो चरणों में किया गया हैं | जिसमे गाटा सं0 1866 प्रथम चरण में 0.1220 हे0 एवं द्वितीय चरण में 0.0300 हे0 कुल रकबा 0.1520 हे0 भूमि का अर्जन करते हुए अभिनिर्णय वाद सं0 03/2008-09 दिनांक 08.02.2010 व अभिनिर्णय वाद सं0 05/2011-12 दिनांक 26.08.2011 घोषित किया गया था | जिसका प्रतिकर भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के अनुसार किया जा चुका है |"

"श्री रघुवीर आदि अभिनिर्णय वाद सं0 03/2008-09 दिनांक 08.02.2010 के विरुध मा0 आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के समक्ष वाद सं0 22/2016 दाखिल किया गाया था जिसमे गाटा सं0 1866 के पुनरीक्षित प्रतिकर की मांग की गई थी | इस मध्यस्थतावाद में मा0 आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 12.02.2016 को आदेश पारित किया है | जिसमें यह आदेश दिया गया कि ***"गाटा सं0 1867 व 2169 की अर्जित भूमि का प्रतिकर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार पिछले 20 वर्ष की उत्पादकता के आधार पर निर्धारित करना सुनिश्चित करें |"***

"इसी आदेश में गाटा सं0 1866 रकबा 0.1220 हे0 का उल्लेख नहीं किया गया है | इसी आदेश में यह उल्लेख है कि गाटा सं0 1866 अभिनिर्णय 03/2008-09 दिनांक 08.02.2010 में उल्लेखित नहीं है | इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि गाटा सं0 1866 का अधिग्रहित क्षेत्रफल उक्त अभिनिर्णय के कुल क्षेत्रफल में सम्मलित है तथा अभिनिर्णय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गाटा सं0 1866 के भूस्वामी श्री श्याम सिंह की

23/3/18

Office of Chief Project Manager- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower, Mayur Complex, Nagla Padi, Near Tulsi Cinema, NH-02 Agra -282002
Tele/fax 0562-2605577 E mail, abkhare@dfccil.co.in, Mob. 7069903000
Website www.dfccil.gov.in

Dy. No - 327/2018

आपत्ति को भी निस्तारित किया गाया है | किन्तु गाटों के विवरण में गाटा स0 1866 उल्लेख टंकण की त्रुटिवश नहीं हो सका है | अधिग्रहित गाटा सं0 1866 रकबा 0.1220 हे0 रेल मंत्रालय के पक्ष में नामांतरित हो चुका है |"

"मा0 आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थी द्वारा मा0 आर्बीट्रेटर महोदय के सक्षम मध्यस्थमवाद अधिनियम की धारा-33 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है |"

(सुभाष चंद्रा)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला

प्रतिलिपि:- उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर को सूचनार्थ हेतु |

Office Of Chief Project Manager- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower,Mayur Complex,Nagla Padi,
Near Tulsi Cinema, NH-02,Agra -282002
Telefax: 0562-: 885577 E mail,abkhare@dfcc.co.in, Mob. 7060803060
Website www.dfccil.gov.in